कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 174/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 06.05.2026**

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

➡ बारात में तमंचा लेकर डांस का वीडियो वायरल, अभियुक्त गिरफ्तार

➡ अवैध .315 बोर तमंचा बरामद, आर्म्स एक्ट में कार्रवाई

थाना कप्तानगंज क्षेत्रांतर्गत दिनांक 04.05.2026 को ग्राम कादीपुर हरिकेश में आई बारात के दौरान एक युवक द्वारा तमंचा लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विकास निषाद पुत्र जितेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रिंस मिश्रा द्वारा की जा रही है।

दिनांक 07.05.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विकास निषाद को बालोवरगंज से गोपालापुर पुलिया मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

विकास निषाद पुत्र जितेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी

एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर

पुलिस टीम

उ0नि0 रामनिहाल वर्मा, का0 सूरज कुमार मल्ल

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

➡ युवती को शादी का झांसा देकर उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

➡ आत्महत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही, अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

थाना कप्तानगंज क्षेत्रांतर्गत वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त सलमान निवासी ग्राम लालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया गया। दिनांक 16.04.2026 को विवाह से इंकार करने पर पीड़िता ने फांसी लगा ली, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

उक्त प्रकरण में थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष जय प्रकाश के नेतृत्व में दिनांक 06.05.2026 को अभियुक्त सलमान पुत्र असामुद्दीन निवासी लालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 111/2026 धारा 69, 108 बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त
सलमान पुत्र असामुद्दीन निवासी लालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष
पुलिस टीम
उ0नि0 राजमणि भारती, रि0का0 अभिषेक राय

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡️ मानसिक रूप से कमजोर युवती से छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को भेजा न्यायालय

थाना सरायमीर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 02.05.2026 को वादी द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसकी मानसिक रूप से कमजोर बहन के साथ अभियुक्त भीम पुत्र पुनवासी निवासी ग्राम कौरागहनी द्वारा गाली-गलौज करते हुए छेड़छाड़, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 75, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.05.2026 को उ0नि0 धीरज कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर कौरागहनी नहर के पास से वांछित अभियुक्त भीम को समय करीब 04:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त
भीम पुत्र पुनवासी निवासी ग्राम कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी स्थान
कौरागहनी नहर के पास, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 109/2026 धारा 75, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
पुलिस टीम
उ0नि0 धीरज कुमार, हे0का0 लाल बहादुर यादव, रि0का0 अंकित गुप्ता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡️ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व पोक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ त्वरित कार्यवाही में पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर भेजा न्यायालय

थाना रौनापार क्षेत्रांतर्गत वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 19.01.2026 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव के ही अभियुक्त धीरज यादव पुत्र वंशलोचन यादव निवासी आराजी अजगरा मगर्वी (माधो का पुरा) थाना रौनापार द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 41/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अपहृता की बरामदगी व बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा विवेचना प्रचलित रही।
दिनांक 06.05.2026 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त धीरज यादव को बेलहिया पुलिया, थाना रौनापार क्षेत्र से समय 08:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया तथा परिजनों को सूचना दी गई।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 41/2026 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

धीरज यादव पुत्र वंशलोचन यादव निवासी आराजी अजगरा मगर्वी (माधो का पुरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष

पुलिस टीम

उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, का0 बासुकीनाथ सिंह, का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

➡ दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद, अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

थाना निजामाबाद क्षेत्रांतर्गत दिनांक 02.05.2026 को वादी मुन्नी बनवासी निवासी जनपद गाजीपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया कि दिनांक 01.05.2026 की रात्रि में अभियुक्त अर्जुन पुत्र स्व० मोतीलाल निवासी मिल्कीपट्टी थाना निजामाबाद द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री चिन्ता देवी की चाकू एवं ईंट से वार कर हत्या कर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 85, 80(2), 115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 06.05.2026 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को अल्लीपुर प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री के पास से समय करीब 23:20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 111/2026 धारा 85, 80(2), 115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

अर्जुन पुत्र स्व० मोतीलाल निवासी मिल्कीपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू

पुलिस टीम

उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, उ0नि0 दिलीप आनन्द, हे0का0 मो0 आसिफ सिद्दीकी, का0 पीयूष चौधरी, रि0का0 मो0 हुसैन अंसारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 06.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 07 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 07 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 13.08.2020 को वादिनी मुकदमा सन्तरी देवी पत्नी स्व0 हीरालाल निवासी अकबालपुर नाउपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राजबहादुर 2. सुरेद्र यादव पुत्र फेकू यादव 3. रणजीत यादव पुत्र राजबहादुर 4. कमला देवी पत्नी राजबहादुर निवासीगण घोड़सना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 5. लालबहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव 6. अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासीगण चौकी देवगाव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 7. उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी

मुसऊपुर रुद्रपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादिनी के पति व पुत्र को चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर देना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 171/2020 धारा-147,148,149,302, 120B भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 10 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 06.05.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राजबहादुर 2. सुरेद्र यादव पुत्र फेकू यादव 3. रणजीत यादव पुत्र राजबहादुर 4. कमला देवी पत्नी राजबहादुर निवासीगण घोड़सना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 5. लालबहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव 6. अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासीगण चौकी देवगाव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 7. उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी मुसऊपुर रुद्रपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

➡ हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ आरोपी को निजामाबाद मोड़ रेलवे क्रासिंग से पकड़ा गया

थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पर वादिनी उर्मिला पत्नी सुभाष राम निवासी अन्धौरी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 117(2), 109 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5)(क) एससी/एसटी एक्ट बनाम दुर्गेश यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 28 वर्ष पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे से संबंधित हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त दुर्गेश यादव को दिनांक 06.05.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक- 06.05.2026 को उ0नि0 अमिताभचन्द मय हमराह द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी/सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त निजामाबाद मोड़ रेलवे क्रासिंग के पास मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दुर्गेश यादव को समय करीब 10:10 बजे उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –
1-मु0अ0सं0 68/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 117(2), 109 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5)(क) एससी/एसटी एक्ट थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त –
1- दुर्गेश यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अमिताभचन्द, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 धनंजय राय, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
3. का0 सुमित यादव, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़